मूल हिंदी

भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 167

11 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

अंगीकार - 2025 के उद्देश्य और कार्यक्षेत्र

***167. श्री कंवर सिंह तंवरः**

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पांच हजार से अधिक शहरी स्थानीय निकायों को शामिल करते हुए प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) 2020 के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए की गई एक राष्ट्रव्यापी पहल अंगीकार-2025 के उद्देश्य और कार्यक्षेत्र क्या हैं;

(ख) सरकार द्वारा अंतिम छोर तक सेवा प्रदायगी की कमियों को दूर करने, आवास से होने वाले लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, सत्यापन और आवेदन प्रक्रियाओं में तेजी लाने और अनुमोदित शहरी आवास परियोजनाओं को पूरा किए जाने को सुकर बनाने के लिए कौन-कौन से कार्यकलाप प्रस्तावित हैं; और

(ग) सरकार द्वारा प्रवासियों के लिए किराये के आवास हेतु ऋण संबद्ध राजसहायता योजना (सीएलएसएस-आरएचएम), प्रधान मंत्री सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना और अन्य संबंधित योजनाओं जैसी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को एकीकृत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है और कमजोर शहरी समूहों को प्राथमिकता देने और सतत आवास समाधानों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य मंत्री

(श्री मनोहर लाल)

(क) से (ग)**:** विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

अंगीकार-2025 के उद्देश्य और कार्यक्षेत्र के संबंध में दिनांक 11.12.2025 को लोकसभा में उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 167* के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ग) : आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) को कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश भर के पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ सभी मौसमों में रहने योग्य पक्का मकान उपलब्ध कराना है। वित्त पोषण पद्दति और कार्यान्वयन प्रणाली में कोई बदलाव किए बिना, स्वीकृत आवासों को पूरा करने के लिए इस योजना की अवधि 31.12.2025 तक बढ़ा दी गई है।

पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से सीख लेकर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और अगले पाँच वर्षों में 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों की सहायता करने के उद्देश्य से देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है। यह योजना चार घटकों अर्थात लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) **और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस)** के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। **पीएमएवाई-यू** 2.0 के योजना दिशानिर्देश https://pmayurban.gov.in/uploads/guidelines/Operational-Guidelines-of-PMAY-U-2.pdf पर देखे जा सकते हैं । **नागरिक पीएमएवाई-यू** 2.0 **के** एकीकृत **वेब पोर्टल के** माध्यम से आवेदन **कर सकते हैं और** https://pmay-urban.gov.in पोर्टल पर अपनी मांग दर्ज कर सकते हैं।

राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत किए गए परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, मंत्रालय ने अब तक इस योजना के तहत कुल 122.06 लाख आवास स्वीकृत किए हैं, जिसमें **पीएमएवाई-यू** 2.0 के तहत स्वीकृत 10.43 लाख आवास भी शामिल हैं। 24.11.2025 तक, इनमें से 113.85 लाख आवासों का निर्माण कार्य शुरू किया जा चुका है और 96.02 लाख आवास पूरे किए जा चुके हैं/ देश भर में लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं।

पीएमएवाई-यू 2.0 के प्रचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को नागरिक सुख-साधनों के प्रावधान और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का प्रावधान करने और कार्यान्वयन की कुशलता तथा प्रभाव बढ़ाने के लिए इस योजना का अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0), पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना इत्यादि सहित कई अन्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं और मिशनों के साथ तालमेल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। केन्द्रीय योजनाओं के साथ तालमेल के अलावा, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को संबंधित राज्य योजनाओं के साथ तालमेल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। इन योजनाओं/मिशनों के साथ तालमेल सार्वजनिक संसाधनों का प्रभावी और कुशल उपयोग सुनिश्चित करता है।

पीएमएवाई-यू 2.0 के योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत चिह्नित किए गए विशेष लक्षित समूह के पात्र लाभार्थियों को प्राथमिकता दी गई है, जैसे कि : पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत पथ-विक्रेता, सफाई कर्मी, प्रधान मंत्री-विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत विभिन्न कारीगर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, भवन और अन्य निर्माण श्रमिक, झुग्गी-झोपड़ियों/चॉलों के निवासी आदि। पीएमएवाई-यू के अंतर्गत समाज के असुरक्षित वर्गों के लोगो की आवास आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने पर भी जोर दिया गया है।

इसलिए, मौजूदा पीएमएवाई-यू लाभार्थियों को उनके आवास पूरे करने के लिए प्रेरित करना और संभावित लाभार्थियों में पीएमएवाई-यू 2.0 का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करने के संबंध में जागरूकता पैदा करना तत्काल आवश्यक था। इसी उद्देश्य से, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत 'अंगीकार 2025' नाम का एक लास्ट-माइल आउटरीच अभियान शुरू किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी पात्र नागरिक पीछे न छूटे। यह अभियान सितंबर 2025 में देश के 5,000+ शहरी स्थानीय निकायों में शुरू किया गया है और 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा। अंगीकार 2025 अभियान के विस्तृत दिशा निर्देश https://pmaymis.gov.in/PMAYMIS**2_2024/**Angikaarassets/img/Angikaar%**202025%20**Operational%**20**Guidelines.pdf **पर** उपलब्ध **हैं** ।

इस अभियान में कई कार्यकलाप हैं, जिनमें शामिल हैं:

- **पीएमएवाई-यू 2.0 की पात्रता, आवेदन प्रक्रियाओं और योजना लाभों की जानकारी देने के लिए सहायता डेस्क और सूचना कियोस्क**
- **पीएमएवाई-यू 2.0 के संभावित लाभार्थियों का तुरंत नामांकन**
- पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना, स्वास्थ्य, पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम स्वनिधि, आयुष्मान भारत पर समर्पित शिविर, ताकि तालमेल के माध्यम से पीएमएवाई-यू लाभार्थियों को इन योजनाओं के लाभ प्रदान किए जा सकें।
- **पीएमएवाई-यू 2.0 के लाभार्थियों, विशेष रूप से आईएसएस घटक के लिए वित्तीय सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से गृह ऋण की सुविधा हेतु लोन मेले**
- जिन लाभार्थियों ने घर बना लिया है, वे अपने अनुभव साझा करके दूसरे लाभार्थियों को अपने घर का निर्माण पूरा करने के लिए प्रेरित करें और दूसरे पात्र परिवारों को योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन करने के लिए प्रेरित करें।

*****